

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/34
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00027

दिनांक. 04.02.2019

अपीलकर्ता : श्री प्रदीप कुमार महतो,
पुत्र - श्री बिरंची महतो,
पता - कान्डरा, पो0 - मोतीनगर,
जिला - धनबाद, झारखंड - 828120.

निर्णय की तारीख : 04.02.2019

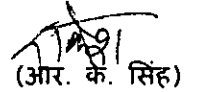
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	04.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.12.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.01.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	52/01.02.2019 (8143/30.01.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 04.12.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SAIL/A/2017/162019 - सुनवाई की तिथि 04.09.2018 की विडियो क्लिप की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के दिनांक 20.12.2018 के पत्र जिसके माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील/शिकायतों की सुनवाई की विडियोग्राफी का कोई प्रावधान नहीं है, के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2018 को पत्र सं. 6187/06.12.2018/आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदान गई सूचना बिल्कुल सही है कि "केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील/शिकायतों की सुनवाई की विडियोग्राफी का कोई प्रावधान नहीं है"। उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

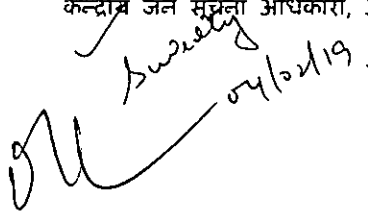
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


04/02/19.

